देवनागरी उर्दू

जमात कैसे और क्यों कायम करना ज़रूरी है?

जमात कैसे और क्यों कायम करना ज़रूरी है?

ख़ुदावंद ईसा अल-मसीह के हर पैरौकार को किसी **जमात** का हिस्सा होना चाहिए। जमात से मेरा मतलब ख़ुदावंद ईसा अल-मसीह के पैरौकारों का वह गिरोह है जो हफ़्ते में कम अज़ कम एक बार इकट्ठा होकर दुआ करते हैं, किताब-ए-मुक़द्दस की तालीम हासिल करते हैं, इबादत करते हैं और इशा-ए-**रब्बानी** में शरीक होते हैं। जमातों को कभी-कभी **कलीसिया** भी कहा जाता है।

इंजील-ए-शरीफ़ में आम तौर पर जमात की क़ियादत एक या एक से ज़्यादा **बुज़ुर्गों** के हाथ में होती है, जिन्हें कभी-कभी **पास्टर** भी कहा जाता है। आम तौर पर यही बुज़ुर्ग जमात की रहनुमाई करते हैं और कलाम-ए-ख़ुदा की तालीम देते हैं। लेकिन जमात का हर ईमान वाला शख़्स इस ज़िम्मेदारी में शरीक है कि वह जाए और **शागिर्द बनाए**।

अक्सर जब कोई नई जमात शुरू होती है, तो उसमें कोई ऐसा बुज़ुर्ग मौजूद नहीं होता जो जमात की क़ियादत के लिए तरबियत-याफ़्ता यानी जो क़ियादत को सीखा हुआ हो।

फ़िक्र ना कीजिए, यह एक मामूल की बात है। नई जमातें अक्सर कुछ वक्त तक बिना तरबियत-याफ़्ता रहनुमा के इकट्ठा होती हैं, लेकिन वक़्त के साथ यह आम बात है कि एक या एक से ज़्यादा बुज़ुर्ग जमात के लिए तैयार किए जाएँ।

आज हम इंजील-ए-शरीफ़ में बयान की गई **पहली जमात** के बारे में सीखेंगे। जब ख़ुदावंद ईसा अल-मसीह सलीब पर क़ुरबान हुए, दफ़्न किए गए और फिर मुर्दों में से जी उठे, तो इंजील-ए-शरीफ़ हमें बताती है कि वह चालीस दिन तक अपने क़रीबी शागिर्दों से मिलते रहे और उन्हें **ख़ुदा की बादशाही** के बारे में तालीम देते रहे। उन्होंने उन्हें यह हुक्म दिया: 'लेकिन तुम्हें रूहुल-क़ुद्स की क़ुव्वत मिलेगी जो तुम पर नाज़िल होगा। फिर तुम यरूशलम, पूरे यहूदिया और सामरिया बल्कि दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे।" ' (आमाल 1:8)

इसके बाद ख़ुदावंद ईसा अल-मसीह फिर से आसमान पर चले गए। फिर उन्होंने अपने क़रीबी शागिर्दों पर रूह-उल-क़ुद्स की क़ुदरत नाज़िल की, जिनमें एक शख़्स **रसूल पतरस** (रज़ियल्लाहु अन्हु) भी थे। जब रूह-उल-क़ुद्स रसूल पतरस (रज़ियल्लाहु अन्हु) पर नाज़िल हुआ, तो उन्हें बहुत से लोगों के सामने ख़ुदावंद ईसा अल-मसीह का पैग़ाम बयान करने का मौक़ा मिला। इसके नतीजे में तीन हज़ार अफ़राद ने बपतिस्मा यानी पाक ग़ुस्ल लिया और **पहली जमात** की बुनियाद पड़ी।

अब इंजील-ए-शरीफ़ में **रसूलों के आमाल 2:37-47** से, वह वाक़िआ बयान किया गया है जो कुछ इस तरह है...

37पतरस की यह बातें सुनकर लोगों के दिल छिद गए। उन्होंने पतरस और बाक़ी रसूलों से पूछा, "भाइयो, फिर हम क्या करें?"

38पतरस ने जवाब दिया, "आपमें से हर एक तौबा करके ईसा के नाम पर बपतिस्मा ले ताकि आपके गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएँ। फिर आपको रूहुल-क़ुद्स की नेमत मिल जाएगी।

39क्योंकि यह देने का वादा आपसे और आपके बच्चों से किया गया है, बल्कि उनसे भी जो दूर के हैं, उन सबसे जिन्हें रब हमारा ख़ुदा अपने पास बुलाएगा।"

40पतरस ने मज़ीद बहुत-सी बातों से उन्हें नसीहत की और समझाया कि "इस टेढ़ी नसल से निकलकर नजात पाएँ।"

41जिन्होंने पतरस की बात क़बूल की उनका बपतिस्मा हुआ। यों उस दिन जमात में तक़रीबन 3,000 अफ़राद का इज़ाफ़ा हुआ।

www.taleemulislam.org

42यह ईमानदार रसूलों से तालीम पाने, रिफ़ाक़त रखने और रिफ़ाक़ती खानों और दुआओं में शरीक होते रहे।

43सब पर ख़ौफ़ छा गया और रसूलों की तरफ़ से बहुत-से मोजिज़े और इलाही निशान दिखाए गए।

44जो भी ईमान लाते थे वह एक जगह जमा होते थे। उनकी हर चीज़ मुश्तरका होती थी।

45अपनी मिलकियत और माल फ़रोख़्त करके उन्होंने हर एक को उस की ज़रूरत के मुताबिक़ दिया।

46रोज़ाना वह यकदिली से बैतुल-मुक़द्दस में जमा होते रहे। साथ साथ वह मसीह की याद में अपने घरों में रोटी तोड़ते, बड़ी ख़ुशी और सादगी से रिफ़ाक़ती खाना खाते

47और अल्लाह की तमजीद करते रहे। उस वक़्त वह तमाम लोगों के मंज़ूरे-नज़र थे। और ख़ुदावंद रोज़ बरोज़ जमात में नजातयाफ़्ता लोगों का इज़ाफ़ा करता रहा।

अगर हम यह जानना चाहते हैं कि **इंजील-ए-शरीफ़** जमात के बारे में क्या तालीम देती है, तो बेहतर है कि हम **पहली जमात** के वाकिये को पढ़ें और समझें। आइए, इस हिस्से से जमात के पाँच पहलुओं पर ग़ौर करें।

पहला, हम देखते हैं कि जमात का हिस्सा बनने के लिए लोगों को **तौबा करना**, **ईमान लाना** और **बपतिस्मा यानी पाक गुस्ल लेना** ज़रूरी था। हक़ीक़त में, जमात उन बपतिस्मा-याफ़्ता पैरौकारों का गिरोह है जिन्होंने मिलकर यह फ़ैसला किया हो कि वे बाक़ायदा इख़लास यानी सच्चे मन के साथ जमा होगें, आपस में रिफ़ाक़त रखेंगे और मिलकर ख़ुदा की ख़िदमत करेंगे। अगर आपने ख़ुदावंद ईसा अल-मसीह की पैरवी का फ़ैसला किया है, तो आपको किसी जमात का हिस्सा होना चाहिए।

दूसरा, जमात की रोज़मर्रा के फराइज़ वही हैं जो मसीह के **आठ अहकाम** हैं, जिनका हम पहले मुताला कर चुके हैं। जमात को चाहिए कि वह ये तमाम काम मिलकर करे और एक-दूसरे की मदद करे ताकि सब ख़ुदावंद ईसा अल-मसीह की पैरवी में मज़बूत रहें।

पहला हुक्म है **तौबा करना और ईमान लाना**।

दूसरा हुक्म है **बपतिस्मा लेना यानी पाक गुस्ल लेना**।

हम ये दोनों अहकाम **आयत 38** में देखते हैं, जहाँ **रसूल पतरस** (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने हुक्म दिया: "आपमें से हर एक तौबा करके ईसा के नाम पर बपतिस्मा ले ताकि आपके गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएँ। फिर आपको रूहुल-क़ुद्स की नेमत मिल जाएगी। "

तीसरा हुक्म है **दुआ करना**। हम पढ़ते हैं कि यह पहली जमात मिलकर दुआ करने में मश्ग़ूल रहती थी।

चौथा हुक्म है **किताब-ए-मुक़द्दस का मुताला**। इस हिस्से में हम देखते हैं कि नए ईमान वाले **रसूलों की तालीम** से जुड़े रहे।

पाँचवाँ हुक्म है **जाओ और शागिर्द बनाओ**। यह वाकिया इस बात पर ख़त्म होता है कि ख़ुदा हर रोज़ नजात पाने वालों को जमात में शामिल करता था। इसका मतलब यह है कि जमात के लोग ईमानदारी से दूसरों को ख़ुदावंद ईसा अल-मसीह का पैग़ाम सुना रहे थे।

छठा हुक्म है **दूसरों से मुहब्बत करना**। पहली जमात आपस में रिफ़ाक़त रखती थी और अपनी मिल्कियत यानी माल व दौलत बेचकर ज़रूरतमंदों में तक़सीम करती थी, ताकि उनमें कोई मोहताज न रहे। इसी तरह आज भी जमात के हर शख़्स को चाहिए कि वह दूसरे लोगो की मदद करे।

www.taleemulislam.org

सातवाँ हुक्म है इशा-ए-**रब्बानी लेना**। इस वाकिये में दो मर्तबा "रोटी तोड़ने" का ज़िक्र आता है। रोटी तोड़ने से मुराद यह है कि पहली जमात बाक़ायदा मिलकर इशा-ए-रब्बानी में शरीक होती थी।

आठवाँ हुक्म है **देना**। इस हिस्से में हम देखते हैं कि ईमानदारों ने अपनी मिल्कियत यानी माल व दौलत तक बेच दी और बड़ी फ़राख़दिली से दूसरों की ज़रूरतें पूरी कीं। जमात के लोग जमात के लिए दिल खोलकर देते हैं।

इस तरह, जमात उन ईमानदारों का गिरोह है जो मिलकर **आठों अहकाम** पर अमल करते हैं और एक-दूसरे की मदद करते हैं ताकि सब ख़ुदावंद ईसा अल-मसीह की पैरवी में क़ायम रहें।

इस हिस्से में जमात का **तीसरा पहलू** यह है कि जमात **किसी भी वक़्त** जमा हो सकती है। यहाँ हम देखते हैं कि जमात रोज़ाना मिलती थी। इसका मतलब यह है कि जमात मंगल के दिन, जुमा के दिन या इतवार के दिन भी मिल सकती है। कोई ख़ास वक़्त मुक़र्रर नहीं है। जमात को चाहिए कि वह कम अज़ कम हफ़्ते में एक मर्तबा इबादत, दुआ, किताब-ए-मुक़द्दस के मुताले और आपसी हौसला-अफ़ज़ाई के लिए जमा हो।

चौथा पहलू यह है कि जमात **किसी भी जगह** जमा हो सकती है। इस हिस्से में जमात घरों में भी जमा होती थी और बैतुल मुकद्दस में भी। इसका मतलब यह है कि जमात किसी ख़ास इमारत में भी इबादत कर सकती है, लेकिन अक्सर जमातें घरों में ही मिलती हैं। जमात के तौर पर यह तय करें कि आप बाक़ायदा कहाँ जमा हो सकते हैं।

पाँचवाँ पहलू यह है कि जमात **ख़ुदा के जलाल के लिए उसकी इबादत** करती है। इस हिस्से में ख़ुदा की हम्द करने से मुराद इबादत के गीत गाना है। यह बिल्कुल मामूल की बात है कि जमात इकट्ठा होकर क़ादिर-ए-मुतलक़ की सना में गीत गाए।

मेरी दुआ है कि ख़ुदा आपको भी ऐसी ही जमात का हिस्सा बनने का मौक़ा दे, जैसी जमात का यहाँ ज़िक्र किया गया है। अगर आपके पास कोई जमात मौजूद नहीं है, तो अपने दोस्तों और ख़ानदान वालों के साथ ख़ुदावंद ईसा अल-मसीह का पैग़ाम बताए। मुमकिन है कि आप मिलकर एक नई जमात शुरू कर सकें।

www.taleemulislam.org

हमसे जुड़ने के लिए आइकॉन पर क्लिक करें.....